संख्या– 469 / II–2004–04 (23)/03

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग,
उत्तरांचल।

सिंचाई विभाग देहरादून दिनांक 10 जनवरी, 2005

विषयः– रिस्पना नदी के किनारे स्थित रिस्पनापुरम एम0डी0डी0ए0 कालोनी की बाढ़ सुरक्षा योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य अभियन्ता यमुना घाटी परियोजना सिंचाई विभाग उत्तरांचल के पत्र संख्या– सी0 1207/ मु0अ0/य0प0 दिनांक 01.12.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "**रिस्पना नदी के किनारे स्थित रिस्पनापुरम एम0डी0डी0ए0 कालोनी की बाढ़ सुरक्षा योजना**" के रू0 36.24 लाख के आगणन के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 36.07 लाख (रूपये छतीस लाख सात हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :–

1– इस योजना का वित्त पोषण राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। अतः योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के बावजूद योजना पर धनावंटन राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा अलग से जारी किया जायेगा।

2– कार्य कराने से पूर्व परियोजनाओं के विस्तृत मानचित्र आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लें, तदोपरान्त ही कार्य करायें।

3– अधीक्षण अभियन्ता का दायित्व होगा कि कार्यों को सम्पादित कराने से पूर्व आगणन में ली गयी लीड, दूरी आदि का सत्यापन करें तथा आगणन में ली गयी दरों का पुनः परीक्षण करा लें ताकि किसी दर में कोई भ्रान्ति उत्पन्न न हो।

4– कार्य सम्पादित कराते समय विभागीय विशिष्टियों का पालन करना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय।

5– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों से अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थलीय आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

6– निर्माण सामग्री के प्रयोग में लाने के पूर्व किसी प्रयोगशाला में टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

7– योजनाओं का कार्य कराते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स तथा शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

क्रमशः.....2

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 2145/विअनु–3/2004 दिनांक 03 जनवरी, 2005, में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 4601 / ।।–2004–04 (23)/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2– सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तरांचल शासन।
3– वित्त अनु–3, उत्तरांचल शासन।
4– कोषाधिकारी, देहरादून।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6– नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
7– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र देहरादून।
8– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जल सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।